कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) बारां

–:: कार्यालय आदेश ::–

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक : शिविरा–माध्य/अनु.नियु./3901/नियुक्ति मूल/2022/127–130 दिनांक 19.09.2022 से नियुक्ति अनुमोदन उपरान्त इस कार्यालय को सौंपे जाने के फलस्वरूप पृष्ठांकित आशार्थियों को कनिष्ठ सहायक पद पर राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक : 7(2)डीओपी/ए–11/06 दिनांक 20.01.06 एवं वित्त (नियम डिवीजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक : एफ–12(6)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार आशार्थी को प्रोबेशनर ट्रेनीज के रूप में 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है। वित्त विभाग (रूल्स डिवीजन), राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक : एफ.15(1)/एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित आदेश दिनांक 09.12.17 के प्रावधानानुसार पे–मैट्रिक्स L-5 में फिक्स रेमुनरेशन 14600/– देय होगा। संबंधित आशार्थी द्वारा **दिनांक 20.10.2022 तक पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण** करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नही करने की स्थिति में नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त मान लिया जावेगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयध्यक्ष आशार्थी को कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्नांकित शर्तो की पालना सुनिश्चित करेंगे :–

1. अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जांच करेंगे। यदि भविष्य में आशार्थी द्वारा प्रस्तुत योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र /अंकतालिकाऐं किसी भी स्तर पर अवैध पाये गये तो सेवा समाप्त की जाकर विधिक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : एफ–7(1)/कार्मिक (क–2) (95) दिनांक 08.04.2003 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नही होने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.05.2005 के अनुसार विधवा की स्थिति में यह प्रावधान लागू नही होंगे।
3. आशार्थी से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र व जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी सदाचरण प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
4. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.01 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में आशार्थी द्वारा मृतक आश्रितों का भरण पोषण नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रावेशन ट्रेनीज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डी.पी.), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
6. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशन ट्रेनीज) की अवधि में राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी।
7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नही माना जावेगा।
8. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : एफ–7(2)/कार्मिक/ए–II/2006 दिनांक 05.07.2010 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिए तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.05.2017 के अनुसार **मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात 02 वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी।** यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ जावेगा।
9. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अधिसूचना दिनांक 05.07.2010 के अनुसार कम्प्यूटर से ली जावेगी। **जिसे आश्रित को नियुक्ति के 03 वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।** इन्हें आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही देय होगी। **कार्मिक (क–2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.2009 के अनुसार मृतक राज्य कर्मचारी की विधवा अभ्यर्थी टंकण परीक्षा से मुक्त रहेगी।**
10. परिवीक्षाधीन अवधि में आशार्थी को कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन के आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश देय नही होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात होगा।
11. कार्यालयध्यक्ष/संस्थाप्रधान संबंधित आशार्थी को कार्यग्रहण से पूर्व धूम्रपान नहीं करने एवं दहेज नहीं लेने के संबंध में आवेदक से नियमानुसार शपथ पत्र प्राप्त करेंगें।
12. आवेदक की सेवापुस्तिका में लाल स्याही से यह अंकित किया जावे कि श्री/सुश्री/श्रीमती को इसके माता/पिता/पति की मृत्यु पर मृत राज कर्मचारी के आश्रितों के भर्ती नियम–1996 के अनुसार नियुक्ति प्रदान की गई हैं।
13. जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई हैं, उन्हें ऐसे पद पर नियुक्ति प्रदान की जावे जिस पर किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं हो।
14. संबंधित संस्थाप्रधान आशार्थी को शाला दर्पण पोर्टल पर कार्यग्रहण करवाकर रिपोर्ट अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– सूची

(शशि मीणा)
जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक बारां

क्रमांक : जिशिअ/मु.मा/बारां/संस्था–1/मृ.आ.नि./कनि.सहा./2022/ 1168 दिनांक: 07/10/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग–1 राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उपशासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, बारां।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा, बारां।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा जिला बारां।
8. संबंधित संस्था प्रधान।
9. संबंधित आशार्थी/व्यक्तिगत पंजिका।
10. वरिष्ठता अनुभाग, स्थानीय कार्यालय।
11. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक बारां

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) बारां

–:: आदेश संख्या : 01 ::–

क्रमांक : जिशिअ/मुख्या.–मा/बारां/संस्था–1/मृ.आ.नि./कनि.सहा./2022/ 1168 दिनांकः 07/10/2022

क्र.सं.	नाम आशार्थी मय योग्यता एवं पूर्ण पता/मृतक से संबंध	जन्मतिथि	मृत कर्मचारी का नाम, पद, पदस्थापन स्थान एवं निधन तिथि	प्रोबेशनर्स ट्रेनी के रूप में दिया जाने वाला फिक्स रेमुनरेशन	नियुक्ति पद	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1	नीलम शर्मा, सीनियर सैकण्डरी, ग्राम बडोद तहसील दीगोद जिला कोटा (राज.) हाल छबडा जिला बारां राज. (पत्नि)	20.08.1988	स्व0 श्री श्यामबिहारी आचार्य, कनिष्ठ सहायक, राउमावि बनेठिया–सुल्तानपुर जिला कोटा 10.03.2022	14600/–	कनिष्ठ सहायक	राज.उच्च माध्य. विद्यालय भीलवाडानीचा छबडा जिला बारां

(शशि मीणा)
जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक बारां

Scanned with CamScanner